तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 58/2021 नया नम्बर 08/2024 जीसीएमएस : 2021/88 बंशीलाल आदि बनाम सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
30.04.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण बंशीलाल आदि ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के दादा हीरालाल के नाम से मु. नं. 45 कि.नं. 22/1 में 0.084है. नहरी भूमि थी। भूमि जरिए इन्तकाल सं. 167 दिनांक 31.01.2006 प्रार्थीगण की माता रूकमणी देवी को कि.नं. 22/1 में 0.076है. प्राप्त हुई है। रूकमणी देवी द्वारा भूमि जरिए दान पत्र दिनांक 21.05.2012 से प्रार्थीगण को कि.नं. 22/1 की 0.076है. प्राप्त हुई हैं जो वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद है। उक्त वर्णित कि.नं. 22/1 की 0.076है. भूमि वादग्रस्त भूमि है जो रिकार्ड में 22/3 में 0.076है. के रूप में दर्शित की गई है, जबकि सही कि.नं. 22/1 है जो अप्रार्थी सं. 2 के खाता में वर्णित कर दिया गया है। जो संहबन से अंकित हुआ है की दुरूस्ती कर कि.नं. 22/1 की 0.076है. प्रार्थीगण के नाम से व 22/3 की 0.025है. अप्रार्थी टिकमचन्द के नाम से दर्ज करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। जवाब अप्रार्थी सं. 2 बन्द हो चुका है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर से जांच रिपोर्ट ली गयी। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर एवं पटवारी अनुसार जमाबंदी संवत 2067–2070 में तीन बार कि.नं. 22/1 लिखा हुआ है। जमाबंदी संवत 2075–2078 में कि.नं. 22/1/0.025है. गै.मु.वाणिज्यिक रकबा टिकमचन्द तथा कि.नं. 22/3/0.076है. रकबा प्रार्थीगण के नाम से दर्ज होने व इसी अनुसार सेग्रीगेशन के बाद नई जमाबंदी अपडेट किये जाने बाबत निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों जमाबंदी की प्रतियों, दान पत्र इत्यादि का अवलोकन करने से न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह समाधान हो गया है कि कि.नं. 22/1 में अंकित भूमि आगे चलकर प्रार्थीगण को प्राप्त हुई है। जबकि रिकार्ड में कि.नं. 22 को विभक्त करते समय प्रार्थीगण के नाम से कि.नं. 22/3 की भूमि दर्ज हो गयी है जिसकी दुरूस्ती प्रार्थीगण करवाना चाहते है। कि.नं. 22/3 की भूमि के हितबद्ध पक्षकार अप्रार्थी सं. 2 द्वारा भी प्रकरण में कोई एतराज/लिखित अभिकथन/जवाब पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य अप्रार्थी पक्ष द्वारा विरोध नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप स्वतः प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। लिहाजा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि चक 2 जीबी ए के प.नं. 125/374 मु.नं. 45 के कि.नं. 22/1 में अप्रार्थी टीकमचन्द के नाम से दर्ज 0.025है. गै.मु. वाणिज्यिक भूमि को कि.नं. 22/3 के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे तथा प्रार्थीगण बंशीलाल, प्रेमचन्द, [illegible] सीतासैन पुत्रगण आशाराम के नाम से कि.नं. 22/3 में [illegible] 0.0[illegible]है. भूमि को कि.नं. 22/1 के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अन्य अंकन यथावत रहेगा। [illegible] की प्रति तहसीदलार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Shakuntala Date: 2025.08.20 11:34:08 IST Reason: SelfAttested शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर